2012/00039

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी: श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 334 / 2012 (अपील)

उनवान

श्रीमती दाखां बाई पत्नी श्री ग्यारसी लाल जाति मीना निवासी ग्राम अरनिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

1. बिरधी बाई बेवा कान्हा जी
2. ग्यारसीराम आत्मज श्री जगन्नाथ
3. हनुमान आत्मज बंशीलाल
4. हंसराज आत्मज बंशीलाल
5. हेमराज आत्मज बंशीलाल
6. कक्कू बाई पुत्री बंशीलाल
7. आबदा बाई पुत्री बंशीलाल
8. साबूती बाई पुत्री बंशीलाल मृतक जर्ये कायम मुकामान
8/1 सानिया उम्र 18 साल पुत्री स्व0 राजेश
8/2 रिंकी आयु 16 साल
8/3 पिंकी आयु 14 साल
8/4 रवि आयु 12 साल नाबालिग जर्ये वली जयराम आ0 नारायण निवासी राजनगर कोटा
9. अयोध्या बाई बेवा बंशीलाल जाति मीना नि0 ग्राम अरनिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा
10. राजस्थान सरकार, जर्ये तहसीलदार लाडपुरा

(रेस्पोडेण्टस)

उपस्थित :– 1. श्री ओमप्रकाश मेघवाल (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री धनराज मण्डावत (अभिभाषक रेस्पोडेण्ट नं0 1 to 6

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी नामान्तरकरण संख्या 138 दिनांक 19.05.2000
नायब तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 10.10.2019

1. अपीलाण्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक यह अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार लाडपुरा के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 138 दिनांक 19.05.2000 पर पारित आज्ञा की अप्रसन्नता से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की गई है कि आदेश नामान्तरकरण जैर अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय, नियम तथा तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से काविल निरस्तनीय है।

2. अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा बहस में अपील मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर जाहिर किया कि कि ग्राम अरनिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा मे खाता नं0 18 पर 10 किता की 9.53 हैक्टर भूमि स्थित है जिसकी जमाबन्दी के अनुसार सम्वत 2054–57 मे उक्त भूमि के खातेदार कान्हा, ग्यारसीराम, केसर 3/4, हनुमान, हंसराज,हेमराज, कक्कूबाई, आबदा बाई, साबूती बाई, अयोध्या बाई 1/4 हिस्सा था । मुस0 केसरबाई ने अपने जीवनकाल मे अपने हिस्से की भूमि की वसीयत अपीलान्ट़ा के पक्ष मे दिनांक 16.08.98 को आलेखित कर गवाहान कराकर नोटेरी के यहां तस्दीक करवादी । खातेदार केसर बाई बेवा जगन्नाथ का दिनांक 16.12.98 को देहावसान हो गया और अपीलान्टा मृतक केसर बाई के 1/4 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चली आ रही है व खातेदार है तथा 1/4 हिस्से पर अपीलान्टा की फसल चली आ रही है किन्तु अदालत मातहत नायब तहसीलदार लाडपुरा ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट कि खातेदार केसरबाई एक वर्ष पूर्व फोत हो चुकी है जिसके कालम नं0 9 मे अंकित वारिस मौजूद है, केसर बाई का नाम निरस्त करने की आज्ञा प्रदान करें पर मुस0 केसर बेवा जगन्नाथ का नाम हटाने की स्वीकृति जारी नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया । उक्त नामान्तकरण तस्दीक करते समय किसी प्रकार की जांच व सुनवाई का अवसर नही दिया गया । नामा0 सं0 138 दिनांक 19.05.2000 से व्यथित होकर अपीलान्टा द्वारा कथन किया कि केसरबाई बेवा जगन्नाथ के निधन के पश्चात केसर बाई के हिस्से की आराजी का इन्तकाल अपीलान्टा के हक मे खोला जाना चाहिए था किन्तु ऐसा नही कर 1/4 हिस्से की भूमि को रेस्पो0 नं0 1 व 2 के हिस्से मे शामिल करते हुए केसर बाई का नाम डिलीट कर दिया ऐसा करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर भूमियों की कोई स्थिति की मौका रिपोर्ट नही ली है । जबकि अपीलान्टा केसर बाई की मृत्यु दिनांक 16.12.98 से ही 1/4 हिस्से पर काबिज काश्त चली आ रही है । नामान्तकरण अपीलान्टा की अनुपस्थिति मे पारित किया गया है । जिसका सर्वप्रथम ज्ञान अपीलान्टा को दिनांक 02.03. 2005 को रेस्पो0 क्रम 2 द्वारा अपीलान्टा के कब्जे काश्त मे व्यवधान पैदा करने की धमकी देने व प्रार्थीया अपीलान्टा को उक्त भूमि का बंटवारा कर लेने की कहने पर अपीलान्टा को उक्त भूमि मे काश्त न करने देने की धमकी देने व नामान्तकरण तस्दीक होने की जानकारी दी । इस पर अपीलान्टा ने दिनांक 07.03.2005 को जानकारी कर नामान्तकरण आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 23.03.2005 को नकल प्राप्त हुई इसके बाद रूपयों का इंतजाम कर अपील प्रस्तुत की है । अपीलान्टा द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रस्तुत कर विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने से उक्त अवधि को कन्डोन किये जाने का निवेदन कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामा0 सं0 183 दिनांक 19.05. 2000 निरस्त कर मृतक केसर बेवा जगन्नाथ का नामान्तकरण वसीयत दिनांक 16.08.98 के आधार पर अपीलान्टा के पक्ष मे दर्ज करने का निवेदन किया गया ।

5. रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का बहस में जाहिर किया कि वसीयत का बिन्दु जैर अपील नामान्तरकरण की इस कार्यवाही में निर्धारण किया जाना विधि सम्मत नहीं है। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक समरी प्रोसिडिंग है, तथा पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नियमित वाद द्वारा ही संभव हो सकता है।अपीलाण्ट द्वारा अपील विलम्ब से पेश करने का भी समुचित कारण प्रार्थना पत्र में वर्णित नहीं किया गया है। अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन किऐ जाने का कोई उचित आधार नहीं है। अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त प्रथमतः यह पाते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 138 दिनांक 19.05.2000 को केसर बाई के वारिसान के नाम तस्दीक किया गया है । अपीलांट अपंजीकृत वसीयत के आधार पर मृतक केशर बाई के हिस्से की आराजी का नामान्तकरण अपने नाम

कराना चाहती है । जो नियमित वाद से ही निर्णित किया जा सकता है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि वह सक्षम न्यायालय मे अपने अधिकारों के निर्धारण हेतु नियमित वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है ।

7. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 10.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र कुमार गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा